भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1146
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2012

4जी स्पैक्ट्रम की नीलामी

1146. श्री शिवानन्द तिवारी :
श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह :
क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में मोबाइल सेवा में 4जी(फोर्थ जेनेरेशन) स्पैक्ट्रम की नीलामी वर्तमान वर्ष के अंत तक कर लेने का निर्णय ले लिया है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और क्या सरकार का इस नीलामी के माध्यम से 52,000 करोड़ रूपए से 78,000 करोड़ रूपए प्राप्त होने का आंकलन है;
(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं; और
(घ) क्या उपरोक्त निर्णय लेने से पूर्व सरकार 2जी, व 3जी स्पैक्ट्रम उपयोग की व्यवस्था से संतुष्ट हो चुकी है?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) से (ग) सरकार ने ब्राडबैंड वायरलैस अभिगम (बीडब्ल्यूए) सेवाओं के स्पेक्ट्रम की नीलामी और आबंटन के संबंध में दिनांक 01 अगस्त, 2008 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं और दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को इसके संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीडब्ल्यूए सेवाओं (उदाहरणार्थः 4जी/एल0 टीई) के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी और आबंटन हेतु विभिन्न बैंडों जैसे 700 मेगाहर्टज, 2.3 गीगाहर्टज़, 2.5 गीगाहर्टज और 3.3-3.6 गीगाहर्टज, की पहचान कर ली गई है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आईएमटी-एडवांसड मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं के संबंध में परामर्श पत्र जारी किया है। सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद निर्णय करेगी।

(घ) 2जी और 3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आबंटन, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है और यह उपलब्धता के अध्यधीन होता है।

*****